

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम
श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 125 / 2011

संस्थित दिनांक 07.03.2011

फा.नं.234503000792011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,
जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोजन।

विरुद्ध

1.सुन्दर पिता लिखनलाल उम्र-45 साल,
निवासी ग्राम पिण्डकेपार चौकी उकवा
थाना रूपझर जिला बालाघाट।

.....अभियुक्तगण।

-:: निर्णय ::-::

दिनांक 20.09.2017 को घोषित:-

1- अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-279, 337, 338 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-13.02.2011 को समय रात्रि 08:00 बजे स्थान ग्राम जगनटोला रूपझर के बीच पुलिया छोटा तालाब के पास थाना रूपझर जिला बालाघाट में लोकमार्ग पर वाहन हीरो होण्डा स्पलेण्डर क्रमांक सी.जी.04सी.ई.8533 उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर, आहत सुरेश को ठोस मारकर उपहति कारित किया, आहत को ठोस मारकर घोर उपहति कारित किया, उक्त वाहन को बिना लायसेंस तथा बिना बीमा के चलाया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी सुरेश गोंड की तहरीर प्राप्त होने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल का मौका नक्शा, जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। अपराध जमानतीय होने से आरोपी को जमानत मुचलके पर रिहा किया गया। प्रकरण में आहत की एक्स-रे रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा-338 भा.द.वि. का ईजाफा किया गया। विवेचना दौरान आरोपी के पास वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति पत्र(लायसेंस) तथा बीमा नहीं होने से मो.व्ही. एक्ट की धारा-3/181, 146/196 का ईजाफा किया गया था। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 17/11 तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3- प्रकरण में अभियुक्त को भारतीय दण्ड विधान की धारा-279, 337, 338 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-3/181, 146/196 के अपराध के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा-313

दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक-13.02.2011 को समय रात्रि 08:00 बजे स्थान ग्राम जगनटोला रूपझर के बीच पुलिया छोटा तालाब के पास थाना रूपझर जिला बालाघाट में लोकमार्ग पर वाहन हीरो होण्डा स्प्लेण्डर क्रमांक सी.जी. 04सी.ई.8533 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर आहत सुरेश को ठोस मारकर उपहति कारित किया ?
3. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर आहत सुरेश को ठोस मारकर घोर उपहति कारित किया ?
4. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाया ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-01 व 03 का निष्कर्ष :-

सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के आशय से विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

5— साक्षी सुरेश(अ0सा0-01) ने कहा है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 7-8 माह पूर्व होली के 15 दिन बाद शाम 04 बजे की है। वह अपनी सायकिल से जगनटोला सड़क पर अपनी साईड से जा रहा था, तो आरोपी ने पीछे से आकर उसकी मोटर सायकिल से टक्कर मार दिया, जिससे उसे पैर में, हाथ और ढोड़ी (टुड्डी) में चोट आई थी। घटनास्थल पर पुलिस आई थी और उसे उपचार के लिये अस्पताल लेकर गई थी, जहाँ उसका ईलाज हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। घटना में आरोपी की गलती थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि घटना जगनटोला चढ़ाव की है, वह भी चढ़ाव चढ़ रहा था, घटना के पूर्व उसके सामने से ट्रक आ रहा था। साक्षी के अनुसार घटना के पहले ट्रक कास हो चुका था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि उस ट्रक को साईड देने से वह सड़क के नीचे उतर गया था, सड़क के किनारे मुरुम रखी थी, वहाँ आ गये थे, घटना दिनांक को वह सायकिल को ढकेलते हुए दो लोग जा रहे थे, वह दोनों सायकिल पर सवार थे, जब वाहन चढ़ाई में चढ़ते हैं तो उसकी गति धीमी रहती है, उसी घाट से आरोपी अपनी गाड़ी चढ़ा रहा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया उसने पुलिस को नहीं बताया था कि घटना किसकी गलती से हुई थी तथा सड़क किनारे मुरुम थी, जिसमें

फा.नं.234503000792011

उनकी मोटर सायकिल स्लीप हो गई थी और उन लोग गिर गये, आरोपी ने उनकी मोटर सायकिल को ठोस नहीं मारा था, आरोपी की गाड़ी भी मुरूम में स्लीप हो गई थी और वह ट्रक को साईड देने के चक्कर में गड्ढा में गिर गया और उसे चोट आई थी।

6— साक्षी जगतसिंह अ.सा.07 ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग पांच साल पूर्व ग्राम जगनटोला के पास शाम के साढ़े सात बजे की है। वह सुरेश के साथ उमरिया से पैदल आ रहा था। उनके पास सायकिल भी थी, तभी जगनटोला पुलिया के पास मोटर सायकिल चालक ने पीछे से सुरेश को ठोस मार दिया। घटना में सुरेश के पैर में गंभीर चोट आई थी और मोटर सायकिल वाले को भी चोटें आई थी। मोटर सायकिल लाल रंग की थी, जिसका नंबर उसे ध्यान नहीं है, जिसके बाद उन्होंने घटना की सूचना थाना रूपझर में दी थी, जहाँ से सुरेश को ईलाज हेतु बालाघाट अस्पताल लेकर गये थे। घटना मोटर सायकिल वाले की गलती से हुई थी, क्योंकि उन लोग अपने साईड से जा रहे थे, किन्तु मोटर सायकिल वाले ने पीछे से आकर टक्कर मारी थी। पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.01 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष मोटर सायकिल जिसके हेडलाईट व इंडीकेटर टूट थे, जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.09 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया कि वह लोग घटना दिनांक को रूपझर से जगनटोला की ओर आ रहे थे, मोटर सायकिल चालक भी उनके पीछे से आ रहा था, वह तथा उसका साथी दोनों सायकिल से पैदल आ रहे थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि वह लोग जिस स्थान पर चढ़ रहे थे वह चढ़ाव का स्थान था, चढ़ाव आने से वाहन की गति धीमी होती है, वाहन चालक के वाहन की गति तेज नहीं धीमी थी, उसने पुलिस को बयान देते समय वाहन चालक के द्वारा वाहन को असावधानीपूर्वक चलाने वाली बात नहीं बताया था, रोड के दोनों छोर में बारिक छोटे-छोटे पत्थर थे, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसका साथी सायकिल से उक्त मुरूम वाले पत्थर पर गिर गया था, जिससे उसे चोट आई थी।

7— साक्षी चैनलाल(अ0सा0-02) ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता है तथा प्रार्थी/आहत सुरेश को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन के लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व की है। उसने पुलिस को बयान दिया था। घटना रात 8:00 बजे की है, वह शौचालय के लिये जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ दूरी पर सुरेश का मोटर सायकिल से एक्सीडेंट हो गया था। घटना के समय सुरेश अपनी साईड से पैदल जा रहा था और मोटर सायकिल वाला गलत साईड से चला रहा था, जिसने सुरेश को टक्कर मार दिया और सुरेश गिर गया। आगे जाकर मोटर सायकिल वाला भी गिर गया। आहत सुरेश का पैर टूट गया था।

मोटर सायकिल के चालक को अंधेरा होने के कारण वह पहचान नहीं पाया था। उसके बाद पुलिस वाले आकर ले गये थे। इसके बाद आहत को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसके बाद वह अपने काम से चला गया था। पुलिस ने घटना के बारे में बाद में उससे पूछताछ की थी। घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना जहाँ घटी थी, तब वह मौके पर उपस्थित नहीं था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि घटना की जानकारी देने पर घटनास्थल पर गया था, आहत सुरेश सायकिल से जा रहा था। यह स्वीकार किया कि पुलिस को उसने कथन में जानकारी मिलने पर घटनास्थल पर जाने वाली बात बताया था तथा उसने पुलिस बयान में यह नहीं बताया था कि आरोपी वाहन को असावधानीपूर्वक चला रहा था, यदि पुलिस बयान में लेख हो तो वह गलत है, यदि आहत सायकिल से गिर गया हो तो वह नहीं बता सकता, क्योंकि वह मौके पर नहीं था, वाहन चालक अपनी ही साईड से वाहन को चलाते हुए जा रहा था, उससे प्र.पी.01 पर हस्ताक्षर थाने में करवाये गये थे, उसके समक्ष पुलिसवालों ने कोई मौका नक्शा तैयार नहीं किया था तथा उसके द्वारा वाहन चालक असावधानीपूर्वक वाहन चला रहा था वाली बात नहीं बताई गई थी, यदि ऐसा लेख किया गया है तो वह गलत है।

8— साक्षी फागूलाल (अ0सा0-05) ने कहा है कि वह आरोपी एवं आहत को नहीं पहचानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है तथा पुलिस ने उसके कथन नहीं लिये थे। साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि सूचना पर वह घटनास्थल गया था तो आरोपी और आहत दोनों वहां गिरे पड़े हुये थे, उसने आहत एवं आरोपी को मार्शल गाड़ी में बिठाया था, जगत से पूछने पर उसने बताया था कि मोटरसायकिल चालक ने लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उनकी सायकल को पीछे से ठोस मार दिया था, उसने पुलिस को प्रपी-12 का कथन दिया था तथा वह आरोपी से मिल गया है इस कारण उसे बचाने के लिये सही बात नहीं बता रहा है।

9— साक्षी आत्माराम (अ0सा0-08) ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है तथा पुलिस को उसने कोई बयान नहीं दिया था और ना ही पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। साक्षी को सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी का कथन है कि घटना दिनांक 13.02.2011 की है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को उसे घर पर सूचना मिली की जगनटोला पुलिस के पास मेन रोड पर मोटर सायकिल वाले ने एक्सीडेंट कर दिया है तो वह चैनलाल के साथ गया था तो देखा कि सुरेश पुरवाही वाले को मार्शल गाड़ी में ले जाने के लिए रखे थे, जिसके बांये पैर व मुँह के नीचे चोट आई थी और मोटर सायकिल चलाने

फा.नं.234503000792011

वाले को भी चेहरे पर लगा था तथा जगत ने बताया था कि वह और सुरेश उमरिया से सायकिल के साथ पैदल आ रहे थे तो मोटर सायकिल वाले ने तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाकर सुरेश को पीछे से टक्कर मार दिया एवं मोटर सायकिल हीरो होण्डा कंपनी की नीले काले कलर की मौके पर पड़ी थी, जिसका नंबर सी.जी.04/सी.ई.5833 था। साक्षी ने पुलिस कथन प्र.पी.15 पुलिस न देना व्यक्त किया। यह अस्वीकार किया कि उसके समक्ष पुलिस ने मोटर सायकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर क्रमांक सी.जी.04सी.ई.8533 को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.09 बनाया था, परंतु जप्ती पत्रक प्र.पी.09 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10— साक्षी डॉ० नितेन्द्र रावतकर (अ०सा०-06) ने कहा है वह दिनांक 13.02.2011 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा चौकी प्रभारी जिला चिकित्सालय बालाघाट को सड़क दुर्घटना की तहरीर भेजी गई थी। उक्त तहरीर प्र.पी.03 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आरक्षक अनिल क्रमांक 710 चौकी जिला बालाघाट के द्वारा आहत सुरेख पिता कमलसिंह को मुलाहिजा हेतु लाया गया था, जिसका परीक्षण करने पर उसने पाया था कि डिफार्मिटी बांये पैर में थी, एक खरोंच बांये घुटने के उपर थी, एक खरोंच दाहिने घुटने के उपर थी, एक खरोंच बांये कलाई के उपर थी, एक खरोंच बांये कोहनी के पीछे की तरफ थी तथा एक कुचला घाव हड्डी तक गहरा जो कि टुड़डी पर था। उपरोक्त दर्शाई गई सभी चोटें बोथरी व खुरदुरी वस्तु से आ सकती हैं एवं उसके परीक्षण के 12 घंटे के भीतर की होना प्रतीत होती है। उसके द्वारा आहत को भर्ती किया गया था एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ को जांच उपचार एवं अभिमत हेतु रिफर किया गया था, उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आहत को भर्ती किया गया था, उसकी बाह्य भर्ती पर्ची प्र.पी.13 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं आंतरिक भर्ती पर्ची प्र.पी.14 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आहत अस्पताल आया था, जिसकी उसके द्वारा अस्पताल चौकी प्रभारी बालाघाट तत्पश्चात जिला चिकित्सालय को दी गई थी तथा आहत को उक्त चोटें कैसे आई थी, नहीं बता सकता।

11— साक्षी डॉ० डी०के० राउत(अ०सा०-03) ने कहा है कि वह दिनांक 28.02.2011 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। दिनांक 14.02.2011 को एक्स-रे टेक्नीषियन ए.के. सेन ने आहत सुरेश के बांये पैर एवं जांघ का एक्स-रे किया था, जिसका एक्स-रे प्लेट क्रमांक 551 था, जिसे डॉ० समद ने एक्स-रे हेतु रिफर किया था। उपरोक्त एक्स-रे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने उसके बांये जांघ की फीमर हड्डी के

निचले एक तिहाई भाग में कमोनेटिस फ्रेक्चर होना पाया था। उसकी रिपोर्ट प्र. पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि आहत को आई चोट एक्स-रे दिनांक से 6-7 दिन पूर्व की थी तथा उक्त चोट सामान्य प्रकार की थी एवं सामान्यतः गिरने से भी आ सकती है।

12— साक्षी रमेश इंगले (अ0सा0-04) ने कहा है कि वह दिनांक 24.02.2011 को थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अस्पताल चौकी बालाघाट से प्रपी0-3, प्रपी0-4, प्रपी0-5, एवं प्रपी0-6 के ईलाज संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुये थे। उक्त दस्तावेज की जांच पर उसके द्वारा रोजनामचा सान्हा प्रपी0-7 एवं प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रपी0-8 लेख किया था, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 26/11, धारा-279, 337 भा.द.वि. के अन्तर्गत लेख किया गया था। उक्त डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर विवेचना के दौरान दिनांक 25.02.2011 को जगत की निशादेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रपी0-1 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही जगत, चैतलाल, आत्माराम एवं फागूलाल तथा दिनांक 26.02.2011 को सुरेश के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक 25.02.2011 को थाना रूपझर में रखी मोटरसायकिल को साक्षियों के समक्ष जप्ती पत्रक प्रपी0-9 के अनुसार क्रमांक सी.जी. 04/सी.ई. 8533 को जप्त किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त मोटरसायकिल क्षतिग्रस्त हालत में थी। दिनांक 26.02.2011 को लिखनलाल से जप्ती पत्रक प्रपी0-10 के अनुसार उक्त मोटरसायकिल का रजिस्ट्रेशन जप्त किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त मोटरसायकिल घटना दिनांक को बीमित नहीं थी। उक्त दिनांक को ही आरोपी सुन्दर को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रपी0-11 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत को गंभीर क्षति होने से एवं आरोपी के पास वाहन चलाने का लायसेंस न होने व वाहन का बीमा न होने से अंतिम प्रतिवेदन में धारा-338 भा.द.वि. एवं धारा-3/181, 146/196 मो.व्ही. एक्ट के अन्तर्गत ईजाफा किया था। जप्तशुदा मोटरसायकिल का विधिवत् परीक्षण कराकर परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा मौका नक्शा थाने में बैठकर तैयार किया गया था, साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख न कर अपने मन से लेख कर लिया था, उसके द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी संबंधी कोई भी कार्यवाही साक्षियों के समक्ष नहीं की गई थी तथा उसके द्वारा साक्षियों के समक्ष जप्ती की कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

फा.नं.234503000792011

13— घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.08 विलंब से लेखबद्ध की गई है, परंतु तत्संबंध में पर्याप्त कारण दर्शित है, जिसकी पुष्टि ईलाज के दस्तावेजों प्र.पी.03 लगायत प्र.पी.06 तथा रोजनामचासान्हा प्र.पी.07 से होती है। प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त को झूठा फंसाया गया हो। जांच उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। आहत सुरेश अ.सा.01 द्वारा घटना के समय सड़क पर साईड से जाने के दौरान अभियुक्त द्वारा पीछे से मोटर सायकिल से टक्कर मारने के अखण्डनीय कथन किये हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना के पूर्व ट्रक को साईड देने के लिए वह सड़क के नीचे मुरुम वाली जगह पर आ गया था। साक्षी जगत सिंह अ.सा.07 ने भी साईड से चलने के दौरान आरोपी द्वारा पीछे से टक्कर मारने के तथ्यों की पुष्टि अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में की है। यद्यपि उक्त दोनों साक्षीगण द्वारा अभियुक्त तथा स्वयं के चढ़ाव चढ़ने के दौरान घटना होने के कथन किये हैं तथा साक्षी जगतसिंह अ.सा.07 ने अभियुक्त के वाहन की गति धीमी होना स्वीकार किया है, तथापि मुख्य सड़क के किनारे चल रहे पैदल यात्री को पीछे से टक्कर मारने का कृत्य ही अभियुक्त के उतावलेपन तथा उपेक्षा को दर्शित करता है, क्योंकि मौका-नक्शा प्र.पी.01 से भी घटनास्थल सड़क किनारे होने की पुष्टि होती है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत स्टेट बनाम बाबूलाल 1979 सी.सी.आर.जे.(एम.पी.) (एन.) 58 अवलोकनीय है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-04 का निष्कर्ष :-

14— साक्षी रमेश इंगले (अ0सा0-04) का कथन है कि आरोपी द्वारा अपने वाहन हीरो होण्डा स्पलेण्डर क्रमांक सी.जी.04सी.ई.8533 को बिना वैध लायसेंस तथा बीमा के चलाया जा रहा था, जिस कारण मो.या.अधि. की धारा-3/181, 146/196 का ईजाफा किया गया था। अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और ना ही साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं किये गये हैं। घटना के समय अभियुक्त द्वारा वाहन का चालन अविवादित है। दुर्घटना के समय वैध अनुज्ञप्ति तथा बीमा के विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त पर था, क्योंकि विवेचक साक्षी द्वारा अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में उक्त तथ्य को अस्वीकार किया गया है, परन्तु अभियुक्त द्वारा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। घटना के समय अभियुक्त द्वारा वाहन चालन दर्शित है। ऐसी स्थिति में यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त द्वारा घटना के समय वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति तथा बीमा के चलाया गया।

15— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना से अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना के समय अभियुक्त सुन्दर द्वारा अपने वाहन हीरो होण्डा स्पलेण्डर क्रमांक सी.जी.04सी.ई.8533 को लोकमार्ग पर

उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर आहत सुरेश को चोट पहुंचाकर घोर उपहति कारित की एवं उक्त वाहन को बिना लायसेंस तथा बिना बीमा के चलाया। फलतः अभियुक्त सुन्दर को धारा-279, 338 भा.द.वि. तथा मो.या.अधि. की धारा 3/181 एवं 146/196 के अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

16— अभियुक्त के विरुद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उन्हें अपराधी परवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रवधानों का लाभ देना अथवा उसके विरुद्ध नर्म रूख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उसे एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है। अभियुक्त सुन्दर द्वारा अपराध एक ही संव्यवहार में किये गये हैं। जिस हेतु पृथक-पृथक दण्ड की प्रणीति न्यायिक प्रतीत नहीं होती। फलतः उसे केवल गुरुत्तर अपराध के लिए दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

17— अतः अभियुक्त सुन्दर को धारा-338 भा.दं०सं० में दोषी पाकर एक माह के साधारण कारावास एवं 1000/—(एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा मो.या.अधि. की धारा-3/181 के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500/—(पाच सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा धारा-146/196 के अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1000/—(एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा ना करने पर अभियुक्त को अर्थदण्ड की प्रत्येक राशि के लिए एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

18— अर्थदण्ड की सम्पूर्ण राशि धारा-357(1)(बी) दं.प्र.सं. के अंतर्गत आहत सुरेश को अपील अवधि पश्चात एवं अपील ना होने की दशा में अदा की जावे। अपील होने पर मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

19— अभियुक्त प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहा हैं, उक्त संबंध में धारा-428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

20— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

21— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन हीरो होण्डा स्पलेण्डर क्रमांक सी.जी.04सी.ई.8533 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

22— अभियुक्त को निर्णय की प्रतिलिपि धारा-363(1) द्र.प्र.सं. के तहत निशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, मेरे बोलने पर टंकित किया।
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / —

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही / —

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु
(शासकीय / विधिक उपयोग)